न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी मुकुट सिंह आर0ए0एस

मुकदमा नं0 23/2022

सुरेश चन्द्र पुत्र स्व0 श्री रामकृष्ण शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम डूंगरी तह0 जोबनेर

प्रार्थी

बनाम

1. गीता देवी पत्नि रामेश्वर लाल
2. लक्ष्मीनारायण पुत्र गंगाराम

   समस्त जाति ब्राह्मण नि0 डूंगरी (आलाकाबास) तह0 जोबनेर जिला जयपुर
3. रामेश्वरलाल पुत्र गंगासहाय
4. हनुमानसहाय पुत्र गंगासहाय
5. बद्रीनारायण पुत्र गंगासहाय
6. हरिराम पुत्र गंगाराम
7. मदनलाल पुत्र गंगासहाय
8. ओमप्रकाश पुत्र गंगासहाय

   समस्त जाति ब्राह्मण नि0 डूंगरी (आलाकाबास) तह0 जोबनेर जिला जयपुर
9. जगदीश पुत्र मांगीलाल
10. राजेन्द्र पुत्र गोपाल
11. सुमित्रा पत्नि गोपाल
12. गोपाल लाल पुत्र हरिनारायण
13. नन्दकुमार पुत्र हरिनारायण
14. रामनिवास पुत्र हरिनारायण
15. सीताराम पुत्र रामकृष्ण
16. प्रहलाद पुत्र रामकृष्ण
17. नवलकिशोर पुत्र सीताराम
18. नन्दूदेवी पत्नि घीसालाल
19. मालीराम पुत्र घीसालाल
20. रामेश्वर पुत्र घीसालाल
21. मनोज कुमार पुत्र घीसालाल
22. देवेन्द्र कुमार पुत्र घीसालाल
23. सुनिता देवी पुत्री घीसालाल

    समस्त जाति ब्राह्मण नि0 डूंगरी (आलाकाबास) तह0 जोबनेर जिला जयपुर
24. तहसीलदार जोबनेर

अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जोबनेर जिला जयपुर (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0टी0ए0 एक्ट

1. श्री सुरेश चन्द शर्मा प्रार्थी स्वयं
2. श्री ललित कुमार शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थीया संख्या 1

निर्णय दिनांक :– 10.01.2025

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0टी0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 234 रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा वाकै ग्राम आला का बास तहसील जोबनेर में स्थित है जो कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है। उक्त भूमि में आने जाने हेतु प्रार्थी खसरा नं0 236 रकबा 12 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम आला का बास का उपयोग करता आ रहा है। उक्त आराजीयात खसरा नं0 236 अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी दर्ज है। इसलिए प्रार्थी को अपनी भूमि को काश्त करने व कृषि यंत्र लाने ले जाने के लिए एवं उपयोग उपभोग के लिए खसरा नं0 236 में से 30 फुट चौडे रास्ते की आवश्यकता है। जो खसरा नंबर 234 की पश्चिम दक्षिण कोने से मार्क ए0 से प्रारम्भ होकर खसरा नंबर 236 मे से मार्क बी0 स्थान तक आता है जो कि आम रास्ते में मिलता है। उक्त प्रस्तावित रास्ते को संलग्न नक्शे में मार्क ए0 से बी0 दर्शित किया गया है। प्रार्थी के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। उक्त रास्ते के वदले प्रार्थी डी0एल0सी0 की रेट की मुआवजा अप्रार्थी सं0 1 व 2 को देने को तैयार है। अतः आराजी खसरा नम्बर 236 मे से 30 फुट चौडाई के रास्ते को रास्ता कायम किया जावें।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22 मय अधिवक्ता उपस्थित आएं। अप्रार्थी संख्या 3, 6 एवं 8 की आरे से जवाब इस आशय का पेश किया गया कि पक्षकारान व वादग्रस्त भूमि ग्राम आला का बास पटवार हल्का करणसर में स्थित है। खसरा नंवर 234 व 235 भूमि के खातेदारो के दर्ज हिस्से के अनुसार ही खातेदार उक्त भूमि का उपयोग करते आ रहे है प्रार्थी द्वारा मौखिक रूप से बंटवारा कर खसरा नंबर 234 की भूमि स्वयं के हिस्से में आने की जो बात प्रार्थना पत्र में अंकित की गई है सर्वथा गलत है प्रार्थी मनचाही भूमि पर कब्जा कर काश्त करना चाहता है जबकि उक्त खसरा नंबर में अन्य पक्षकारान के साथ अप्रार्थी संख्या 3, 6, 8 का भी दर्ज हिस्से अनुसार हिस्सा है एवं उक्त भूमि को अप्रार्थीगण ने कभी भी प्रार्थी को अकेले के हिस्सेदारी में होना स्वीकार नहीं किया है ना ही प्रार्थी के उक्त खसरा नंवर अकेले के हिस्से खातेदारी दर्ज है। जब प्रार्थी के हिस्से में खातेदरी की भूमि मात्र हिस्से अनुसार ही दर्ज है एवं उसके लगवा खसरा नंबर 235 में भी अन्य खातेदारो के साथ प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 3, 6, 8 की खातेदारी दर्ज है तो प्रार्थी विना विधिक तकासमा करवाये उक्त भूमि खसरा नंबर 234 को स्वयं अकेले की बताते हुये किसी प्रकार से रास्ता प्राप्त करने की प्रार्थना पाने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी द्वारा राह खातेदारो से मिलकर अप्रार्थीगण सं0 3, 6, 8 के हिस्से की भूमि को बिना विधिक

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

तकासमा करवाये हडपने की नियत से साजिशी रूप से यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण पेश किया गया है जो खारिज योग्य है।

तत्कालीन तहसीलदार किशनगढ रेनवाल के पत्रांक राजस्व/2018/590 दिनांक 27.08.2018 द्वारा प्रकरण के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की तरफ से आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी/वादी द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं करे सिधी बहस की गयी। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीया गीतादेवी की तरफ से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 मय दस्तावेज सूची के पेश किया गया। जिस तत्कालीन न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक द्वारा दिनांक 05.03.2019 का खारिज कर दिया गया।

पत्रावली श्रीमान निबन्धक महोदय राजस्व मण्डल अजमेर के पत्रांक टी0ए0/निगरानी/2019/1140/जयपुर दिनांक 13.03.2019 द्वारा तलब की गयी। जिस पर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा आदेश इस आशय का जारी किया गया कि प्रस्तुत प्रकरण में रिपोर्ट प्राप्त होने पर उस पर आपत्ति की है। ऐसी स्थिति में पक्षकारों द्वारा की गई आपत्ति एवं उसके जवाब तथा प्रार्थना पत्र पर सुनकर निर्णय अपेक्षित रहता है। यदि उभयपक्ष की सहमति से आपत्ति पर पहले सुनवाई होती है तो आपत्ति को स्वीकार एवं अस्वीकार करने का आदेश न्यायिक प्रकार का होना चाहिए जो कि प्रकरण के तथ्यों और विधिक स्थिति का समावेश लिये हुए हो प्रस्तुत प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी का आदेश एक स्थूल आदेश है। यह आदेश स्वतः स्पष्ट आदेश की तारीफ में नहीं आता है। ऐसी स्थिति में इस आदेश को निरस्त किया जाता है और उपखण्ड अधिकारी को निर्देश दिये जात है कि प्रकरण में पक्षकारों की आपत्ति उस पर जवाब तथा प्रकरण पर एक साथ सुनकर जैसा विधिसम्मत हो वैसा स्वतः स्पष्ट निर्णायक आदेश पारित करे और यदि ऐसा निर्णय करने से पूर्व यदि वह कोई अग्रिम जांच करवाना चाहते है तो उसके बिन्दूओं का खुलासा कर एक न्यायिक आदेश पारित करे जिससे कि ऐसी अग्रिम जांच पश्चात उपखण्ड अधिकारी प्रकरण के अन्तिम निस्तारण की ओर अग्रसर हो। उपरोक्त निर्देश के साथ यह निगरानी उपरोक्तानुसार स्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है।

पत्रावली श्रीमान निबन्धक महोदय राजस्व मण्डल अजमेर के पत्रांक निग/टी0ए0/जयपुर/2019/1140/ निर्णय दिनांक 28.01.2020 दिनांक 06.02.2020 से मय निर्णय दिनांक 28.01.2020 प्रति प्राप्त हुई है जिसमे आदेशित किया गया है कि तत्कालिन न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक का ओदश एक स्थूल आदेश होने से आदेश स्वतः स्पष्ट आदेश की तारीफ में नहीं आता है। ऐसी स्थिति में इस आदेश को निरस्त कर प्रकरण में पक्षकारों की आपत्ति उस पर जवाब तथा प्रकरण पर एक साथ सुनकर जैसा विधि सम्मत हो वैसा निर्णायक आदेश पारित करे के निर्देश प्रदान किये गये है। पत्रावली पुनः रजिस्टर कि जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण की तलबी की गयी। तत्कालीन तहसीलदार

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

किशनगढ रेनवाल को श्रीमान नियन्धक महादेय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेशानुसार रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु लिखा गया।

अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 4 की मृत्यु होने पर, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं प्रार्थना पत्र नाम हजफ फरमाए जाने पेश करने तथा अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा अनापत्ति जाहिर करने पर अप्रर्थी संख्या 4 का नाम हजफ किया गया। तहसीलदार जोवनेर द्वारा दिनांक 29.09.2021 को मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। तहसीलदार जोवनेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर अप्रार्थीया गीता देवी द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी। अप्रार्थीया गीता देवी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति स्वीकार योग्य होने से आपत्ति स्वीकार कर तहसीलदार जोवनेर को प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट 251ए आर0टी0ए0 के प्रावधानों की पालना करते हुये लघुतम मार्ग, यदि वैकल्पिक मार्ग हो तो उसका भी हवाला देते हुये उपभयपक्षों को सूचित कर मौका रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

तहसीलदार जोबनेर द्वारा पत्र दिनांक 26.06.2023 द्वारा मौका रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थी के खसरा नं0 234 मे जाने हेतु रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी के लिए रास्त की आवश्यकता है। भूमि अब्दुल रहमान प्रकरण से संबंधित नहीं है। चाहे गये रास्ते की भूमि पर किसी बैंक या संस्था के रहन नहीं है। चाहे गये रास्ते की भूमि पर मा0 वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश व अति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कि0 रेनवाल के प्रार्थना पत्र 14/17 दिनांक 20.05.2019 के द्वारा गीता देवी पत्नी रामेश्वरलाल हि0 1/2 की रिकार्ड की यथास्थिति का स्थगन नोट खसरा नं0 236, 660/233 पर लगा हुआ है। उक्त चाहे गये रास्ते की लम्बाई उत्तरी सीमा पर 412 फीट व चौडाई 30 फिट कुल क्षेत्रफल 12360 वर्गफीट अर्थात 9.0815 बिस्वा अर्थात 0.1148 है0 है। पूर्व में दो रास्ते प्रस्तावित किये हुए है जिनमे दूसरे रास्ते की लम्बाई 112.5 फुट अर्थात 2.48 बिस्वा है जो खसरा नं0 234 मे पहुंच हेतु निकटतम रास्ता है लेकिन उक्त रास्ते से खसरा नंवर 236 के दो टुकडे हो जाते है। मौके पर ख0नं0 236 के दक्षिण–पश्चिम के लगवा ख0नं0 246 व उत्तर पूर्व के लगवा ख0नं0 227 गै0मु0 रास्ता रिकार्ड दर्ज है जिस पर डामर सडक निर्मित है परन्तु ख0नं0 236 के मध्य रास्ते का इन्द्राज नहीं है।

तहसीलदार जोवनेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर अप्रार्थीया गीता देवी द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी। खसरा नवंर 234 के लिए उपलब्ध लघुतम रास्ते की मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार जोवनेर को निर्देशित किया गया। उक्त निर्देश की पालना में तहसीलदार जोबनेर के पत्र क्रमांक एलआर/23/3697 दिनांक 21.08.2023 द्वारा रिपोर्ट इस आशय की पेश कि गयी की ग्राम आला का बास व ठाकुरसी के बास की सीमा पर ग्राम ठाकुरसी का बास के खसरा नं0 182/5 मे अपने घर पर जाने हेतु रास्ता बना रखा है। जो राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज नही है। उक्त रारता ग्राम–आला के बास के ख0न0 236 व 235 के लगता हुआ है। जो किसी भी प्रकार से ख0न0 234 के लगवा व निकटतम नही है। ग्राम– ठाकुरसी का बास का ख0न0 182/6 रकबा 0.0126 किस्म बारानी 2 जहां वर्तमान ट्यूबवेल किया हुआ है जो

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

रास्ते के रूप मे उपयोग मे नही आ रहा। खसरा नम्बर 234 मे जाने हेतु निकटतम रास्ता ख0न0 236 के दक्षिणी छोर पर नजरी नक्शे अनुसार है।

वर्तमान मे ख0न0 235 व 234 राजस्व रिकॉर्ड मे 17 सह. खातेदारों के नाम से दर्ज रिकॉर्ड है। और ख0न0 236 दो व्यक्तियो नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है। जिस पर माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायधीश व अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किशनगढ रेनवाल के प्रा0 प0 स0 14/19 दिनांक 28/05/2019 के द्वारा गीतादेवी पत्नि रामेश्वर लाल हि0 1/2 के रिकॉर्ड की यथास्थिति का स्थगन नोट लगा हुआ है। (केवल खसरा नम्बर 236 पर)

प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 234 के लिए चाहा गया रास्ता ख0न0 236 मे से नजरी नक्शे अनुसार है जो ख0न0 234 मे जाने हेतु लघुतम रास्ता है। मौके पर उपस्थित व्यक्तियों ने बताया कि पूर्व यही से रास्ता चालू था। वर्तमान मे उपरोक्त रास्ता मौके पर बन्द है।

तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 21.08.2024 पर अप्रार्थीया गीता देवी द्वारा आपत्ति इस आशय की पेश की गयी है कि तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार ग्राम आला का बास व ठाकुरसी का बास की सीमा पर ग्राम ठाकुरसी का बास के खसरा नं0 182/5 मे अपने घर पर जाने हेतु रास्ता बना रखा है जो राजस्व रिकार्ड मे दर्ज नहीं है। उक्त रास्ता ग्राम आला का बास के खसरा नंबर 236, 235 के लगता हुआ है। प्रस्तुत रिपोर्ट के मद संख्या 3 मे स्पष्ट अंकन है कि खसरा नंबर 235, 234 का राजस्व रिकार्ड मे 17 सहखातेदारो के नाम दर्ज रिकार्ड है साथ ही खसरा नम्बर 236 पर स्थगन का नोट अकंन होना भी दर्शित किया गया है प्रस्तुत रिपोर्ट के मद नं0 4 मे यह भी अंकन किया गया है कि खसरा नंबर 234 के लिए चाहा गया रास्ता खसरा नंबर 236 मे से नजरी नक्शे अनुसार खसरा नंबर 236 को दो भागों में विभाजित करता है। खसरा नंबर 182/5 एवं 182/6 जो खसरा नं0 235 के लगवा है पर जाने हेतु रास्ता कायम है। जो रास्ता वर्तमान मे चालू है एवं खातेदारो द्वारा उपयोग उपभोग किया जा रहा है साथ ही खसरा नंबर 234 व 235 की जमाबन्दी का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि खसरा नंबर 234 व 235 मे प्रार्थी सुरेश चन्द सह खातेदार है एवं खसरा नंबर 234 का प्रार्थी सुरेश चन्द एकमात्र तन्हा खातेदार नही है। खसरा नंबर 234 व 235 मे प्रार्थी सुरेश चन्द का अन्य खातेदार के दर्ज हिस्से अनुसार ही सुरेश चन्द पुत्र रामकृष्ण का भी हिस्सा 1/12 सहखातेदार के रूप मे दर्ज है एवं राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस का अवलोकन करे तो स्पष्ट है कि खसरा नंबर 234 व 235 लगवा है एवं खसरा नंबर 235 के लगवा खसरा नंबर 182/5 व 182/6 स्थित है जिसमे काश्तकारो के आने जाने हेतु रास्ता मौके पर मौजूद है ऐसी स्थिति मे प्रार्थी सुरेश चन्द द्वारा जो अप्रार्थी गीता देवी के खसरा नंबर 236 के मध्य से होकर स्वयं के उपयोग हेतु रास्ते की मांग की गई है वह कतई न्यायोचित नही है एवं प्रार्थी व शेष सहखातेदारो की खसरा नंबर 234 व 235 के लगवा जो रास्ता नंबर 182/5 मे कायम है उक्त रास्ते का प्रार्थी व अन्य सहखातेदार उपयोग कर सकते है। अतः आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जाये।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

बहस उभयपक्षकारान सुनी गयी। दौराने बहस प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यो का दोहरान किया तथा प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते को दर्ज करने के आदेश प्रदान करने तथा अप्रार्थीया गीता देवी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति को खारिज फरमाने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थीया द्वारा दौराने बहस आपत्ति प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहरान किया आपत्ति प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाने हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलबध राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। यहाँ पर प्रार्थी द्वारा अपने आराजी खसरा नम्बर 234 में पहुंचने हेतु आराजी खसरा नम्बर 236 से रास्ता चाहा गया है। तहसीलदार जोबनेर ने अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया है कि ग्राम आला का बास व ठाकुरसी के बास की सीमा पर ग्राम ठाकुरसी का बास के खसरा नं0 182/5 मे अपने घर पर जाने हेतु रास्ता बना रखा है। जो राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज नही है। उक्त रास्ता ग्राम–आला के बास के ख0न0 236 व 235 के लगता हुआ है। जो किसी भी प्रकार से ख0न0 234 के लगवा व निकटतम नही है। ग्राम– ठाकुरसी का बास का ख0न0 182/6 रकबा 0.0126 किस्म बारानी 2 जहां वर्तमान ट्यूबबेल किया हुआ है जो रास्ते के रूप मे उपयोग मे नही आ रहा। खसरा नम्बर 234 मे जाने हेतु निकटतम रास्ता ख0न0 236 के दक्षिणी छोर पर नजरी नक्शे अनुसार है। प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 234 के लिए चाहा गया रास्ता ख0न0 236 मे से नजरी नक्शे अनुसार है जो ख0न0 234 मे जाने हेतु लघुतम रास्ता है। मौके पर उपस्थित व्यक्तियों ने बताया कि पूर्व यही से रास्ता चालू था। वर्तमान मे उपरोक्त रास्ता मौके पर बन्द है।

उक्त मौका रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी के पास कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है एवं प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता है। तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 21.08.2023 के अनुसार प्रार्थी के खसरा संख्या 234 में पहुंच हेतु निकटतम रास्ता खसरा संख्या 236 के मध्य से है तथा मौके पर उपस्थित व्यक्तियों ने बताया कि पूर्व यही से रास्ता चालू था। वर्तमान मे उपरोक्त रास्ता मौके पर बन्द है। ख0न0 236 दो व्यक्तियो नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है। जिस पर माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायधीश व अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किशनगढ रेनवाल के प्रा0 प0 स0 14/19 दिनांक 28/05/2019 के द्वारा गीतादेवी पत्नि रामेश्वर लाल हि0 1/2 के रिकॉर्ड की यथास्थिति का स्थगन नोट लगा हुआ है। प्रार्थी के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने तथा प्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 234 तक पहुंच हेतु प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता ही निकटतम होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः अप्रार्थीया गीता देवी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र दिनांक 15.03.2024 खारिज किया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जोबनेर द्वारा दिनांक 26.06.2023 एवं दिनांक 21.08.2023 को प्रस्तुत रिपोर्ट के

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

अनुसार खसरा संख्या 236 में से प्रार्थी के खसरा संख्या 234 तक पहुंच हेतु 112.5 फिट लम्बा एवं 30 फिट चौडा अर्थात 2.48 बिस्वा जो खसरा नं0 234 तक पहुंच हेतु निकटतम रास्ता है, दर्ज किये जाने के आदेश दिये पारित किये जाते है। मौके की स्थिति अनुसार सुगम एवं सुविधा जनक रास्ता यही है। उक्त आदेश माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश व अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किशनगढ रेनवाल के प्रा0 प0 स0 14/19 दिनांक 28/05/2019 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अधीन रहेगा। तहसीलदार, जोबनेर माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश व अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किशनगढ रेनवाल द्वारा पूर्व में जारी स्थगन आदेश निष्प्रभावी होने पर ही रास्ता अमल दरामद की कार्यवाही करें।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर0टी0एक्ट0 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जोबनेर को आदेश दिये जाते है कि मौका रिपोर्ट एवं राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प./03(52)राज–6/12/4 दिनांक 14.06.2013 के अनुसार राजकीय भूमि पर सार्वजनिक रास्ता निकालने के हेतु खातेदार की भूमि तक पहुंचने के लिए लघुतम/निकटतम मार्ग जो 30 फीट से अधिक चौडा नहीं हो को कृषि भूमि की दरो का दुगना प्रतिकर लिया जाकर प्रार्थी के आराजी खसरा नम्बर 234 वाकै ग्राम आलाकाबास तह0 जोबनेर तक आराजी खसरा नम्बर 236 वाकै ग्राम आलाकाबास तह0 जोबनेर में से प्रार्थी के खसरा संख्या 234 तक पहुंच हेतु 112.5 फिट लम्बाई एवं 30 फिट चौडाई अर्थात 2.48 बिस्वा जो खसरा नं0 234 तक पहुंच हेतु निकटतम रास्ता है, दर्ज किये जाने के आदेश दिये पारित किये जाते है। तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 26.06.2023 एवं दिनांक 21.08.2023 निर्णय के साथ जुज रहेगी। तहसीलदार जोबनेर दिये जाने वाले रास्ते की भूमि की गणना कर प्रार्थी से प्रचलित डीएलसी रेट के अनुसार गणना कर दुगनी राशि जमा कर अप्रार्थीगण को नियमानुसार अदा करेगे एवं राजस्व रिकार्ड में दिनांक दिनांक 26.06.2023 एवं दिनांक 21.08.2023 की रिपोर्ट के अनुसार गैर मुमकिन रास्ते का इन्द्राज करेगें। उक्त आदेश माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश व अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किशनगढ रेनवाल के प्रा0 प0 स0 14/19 दिनांक 28/05/2019 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अधीन रहेगा। तहसीलदार, जोबनेर माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश व अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किशनगढ रेनवाल द्वारा पूर्व में जारी स्थगन आदेश निष्प्रभावी होने पर ही रास्ता अमल दरामद की कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/01/2025

मुकुट सिंह (RAS)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर